HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** FARIDABAD **P.S. (थाना):** SECTOR-31 FARIDABAD **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0542 **Date (दिनांक):** 11/09/2018 12:30

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	120-B
4	THE HARYANA PROTECTION OF INTERERST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 2013 (HARYANA ACT NO. 32 OF 2014)	3

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/09/2018 **Time (समय):** 12:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 021 **Time (समय):** 11/09/2018 19:34 hrs

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 2 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

   (b) Address (पता): SRS टावर मथुरा रोड फरीदाबाद,

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

   District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** RR Seth

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1958 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Occupation (व्यवसाय):**

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	S-2/74A, ग्रीनपार्क, एक्टेशन बरेली- 243006,, उत्तर प्रदेशBAREILLY, UTTAR PRADESH, INDIA

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

2	Permanent Address	S-2/74A, ग्रीनपार्क, एक्टेशन बरेली- 243006,, उत्तर प्रदेशBAREILLY, UTTAR PRADESH, INDIA

(i) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	मैसर्स SRS Ltd निदेशकगण तथा अधिकारीगण		

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे श्री अमिताभ सिहं ढिल्लन, पुलिस आयुक्त, पुलिस मुख्यालय,सैक्टर-21 सी, पार्क प्लाजा होटल के सामने, फरीदाबाद, हरियाणा । विषय - मैसर्स SRS Ltd, एस0आर0एस0 टावर 305 व 307, 35 वीं मंजिल, निकट मैट्रो स्टेशन, मेवला, महाराजपुर, जी0टी0 रोड फरीदाबाद एवं एस0आर0एस0 कम्पनी के निदेशकगण तथा अधिकारीगण के विरूद्ध धारा 403/405,406/409/420/468/120 बी भा0 द0 वि0 एवं Haryana Protection of Interest of Depositcrs in Financial Establishment Act,2013 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने विषयक । महोदय, उपरोक्त विषयक प्रार्थीगण निम्न निवेदन करते है :- 1. यह कि प्रार्थीगण एक वरिष्ठ नागरिक है जिनके साथ मै SRS Ltd एवं उसके निदेशकों तथा अधिकारीगण द्वारा एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत साजिश में फंसाकर प्रार्थीगण को ब्याज युक्त सावधि जमा योजना (F.D) की एक लाभकारी बचत योजना का प्रलोभन दिया गया । इस योजना में माह अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 के मध्य लगभग रू0 4800000/- (अडतालीस लाख) जमा कराये गये । इसमें आरोपीगण द्वारा अलग-अलग ब्याज युक्त सावधि जमा रसीदें (F.D.R’s) दी गयीं, जो माह अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 के मध्य परिपक्व होनी थी । इसमें कम्पनी व उसके निदेशक तथा अधिकारियों द्वारा सावधि जमा (F.D) पूर्ण होने पर ब्याज सहित पूरी रकम वापस करने का दावा किया गया । 05- यह कि उक्त F.D.R's की शर्तो के अनुसार उनकी परिपक्वता तिथि ही उनकी नियत तिथि थी तथा उसी तिथि को आरोपीगण प्रार्थीगण को निवेश की गयी मूल धनराशि के साथ F.D.R's में ब्याज के तौर पर धनराशि अदा करने के लिये कानूनी तौर पर पूर्णतः प्रतिबद्ध थे, लेकिन बार-बार लिखित एवं मौखिक अनुस्मारक/कानूनी नोटिस देने के उपरान्त भी आरोपीगण द्वारा प्रार्थीगण को ब्याज सहित धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है । 03- यह कि उपरोक्त वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण के कृत्यों पर तत्समय कम्पनी लॉ बोर्ड नई दिल्ली, जो वर्तमान में N.C.L.T है, में आरोपीगण के विरूद्ध कम्पनी अधिनियम 1956 के प्राविधान के अन्तर्गत कम्पनी पिटीशन नम्बर- 121 (N.D) 2016 दायर की गयी। मा0 N.C.L.T द्वारः अपने न्यायिक निर्णय दिनांक-20.11.2016 के द्वारा आरोपीगणों को आदेशित किया कि वह निवेशकों के सम्पूर्ण अवशेष देयकों का - अविलम्ब भुगतान सुनिश्चित करें। उक्त भुगतान को सुगम बनाने के लिये N.C.L.T द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना (One Time Settlement) निर्धारित की गई, जिसके अन्तर्गत आरोपीगण N.C.L.T के आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य थे। 04- यह कि N.C.L.T के उक्त दिशा-निर्देशों के कम में प्रार्थीगण द्वारा एक मांग का सूचना पत्र दिनांक-07-06-2017 को आरोपीगणों को प्रेषित किया

गया, जिसमें उनसे मांग की गयी कि वह N.C.L.T के दिशा-निर्देशों के कम में प्रार्थीगण के समस्त देयकों का भुगतान करे। 05- यह कि प्रार्थीगण की निराशा को बढ़ाते हुए आरोपीगणों द्वारा तथ्यों को तोड़-मरोड कर निवेशकों की धनराशि निर्धारित समय में वापस किये जाने में असमर्थता प्रकट करते हुए N.C.L.T बैंच चण्डीगढ के समक्ष अपनी पसंद की संशोधित स्कीम, RT CP NO-180/CHD/HRY/2017 प्रस्तुत की, जिसमें उनके द्वारा भुगतान हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी। जिसको मा0 न्यायाधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.12.17 के द्वारा निरस्त कर आरोपीगणों को राहत देने से इन्कार कर दिया और N.C.L.T नई दिल्ली बैंच के आदेश का पालन न करने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। N.C.L.T चण्डीगढ़ बैंच का आदेश दिनांक 20.12.17 जमाकर्ताओं की रकम/देयकों के भुगतान किये जाने हेतु आरोपीगणों को बाध्य करता है। इस सम्बन्ध में मा0 बैंच द्वारा सम्पूर्ण भुगतान हेतु दिनांक 15.01.2018 की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। यह भी अवगत कराना है। कि मा0 बैंच द्वारा आरोपीगणों से मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किए जाने हेतु एक शर्तहीन विस्तृत शपथ पत्र दाखिल किये जाने के भी निर्देश दिये गये थे। 06- यह कि मा0 न्यायाधिकार के अन्तिम आदेश के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक-13-3-2018 को विधिक नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से M/S SRS Limited, having its registered office at SRS Tower,305 307 3rd floor, Near Metro Station Mewla Maharahjpur, G.T. Road , Faridabad-121003 को पंजीकृत डाक (14-3-2018) से प्रेषित किया गया है, जिसमें आरोपीगणों से मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, प्रार्थीगण की सम्पूर्ण धनराशि/देयकों को मय ब्याज सहित नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह (15) दिवस के अन्दर भुगतान करने की मांग की गयी। नोटिस की प्रति एवं FDR का विवरण प्रदर्श A" के रूप में संलग्न है। 07- यह कि आरोपीगणों द्वारा जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया वह पूर्ण रूप से अव्यवहारिक तथा अनुमानों पर आधारित है। आरोपीगण का यह दुर्भावनापूर्ण इरादा माO न्यायाधिकारण के आदेशों का अनुपालन न करने से स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि उन्हें मा0 न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर विभिन्न अवसर प्रदान किये गये है, फिर भी उनके द्वारा भुगतान नही किया गया। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों का अनादर किया गया है । -8- यह कि आरोपीगण द्वारा न केवल प्रार्थीगण के साथ धोखाधड़ी की गयी है बल्कि अन्य सीधी-सादी आम जनता/जमाकर्ताओं के धन को भी SRS Ltd की जाली F.D.R योजना में निवेश कर धोखाधड़ी की गई है। 09- यह कि प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है। मैंo SRS Ltd एवं उसके निदेशकों एवं अधिकारीगणों द्वारा प्रार्थीगण को पूंजी निवेश करने के लिए

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

प्रेरित किया गया और प्रार्थीगण की जीवन भर की मेहनत की कमाई को सुनियोजित तरीके से सांठ-गांठ, विश्वासघात, छल-कपट, धोखाधड़ी, जालसाजी और बेईमानी कर हड़प लिया है। 10–यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगणों द्वारा धारा 403/405 /406/409/420/468/120 बी भादवि तथा धारा 3 Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act,2013 का अपराधिक कृत्य किया गया है। अतः अनुरोध है कि प्रार्थीगण के उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण के साथ मैंo SRS Ltd एवं उसके निदेशक तथा अधिकारीगण द्वारा की गई धोखाधड़ी, छल-कपट, जालसाजी पर आरोपियों के विरूद्व सुसंगत धाराओं में अपराधिक अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें और प्रार्थीगण को ब्याज सहित धनराशि का भुगतान कराने की कृपा करें । संलग्नक- अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस प्रति मय FDR विवरण सहित प्रदर्श "A" दिनांकः अगस्त 7,2018 । प्रार्थीगणः RR Seth (आर0आर0सेठ) (पुष्पा सेठ) निवासीगण-S-2/74A, ग्रीनपार्क एक्टेशन बरेली- 243006, उत्तर प्रदेश। सम्पर्क नं0- 9411101310 ,9690004530 अज थाना :- एक परिवाद नम्बर 7327/CC/P दिनांक 30.08.2018 CP आफिस सैक्टर 21 सी फरीदाबाद बाद जांच EOW शैल सैक्टर 12 फरीदाबाद जिस पर DCP HQ साहब ने Registered the Case तहरीर किया हुआ बजरिया डाक थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 542 दिनांक 11.09.2018 U/s 406,420,120B IPC 3 Haryana Protection of Interest of Depositcrs in Financial Establishment Act,2013 थाना सैक्टर-31 फरीदाबाद में दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की कम्प्युटराईज प्रतिया नियमानुसार तैयार करके समबन्धित अफसरान बाला वा इलाका मजिस्ट्रेट की सेवा मे भेजी जायेगी । नकल मिशल पुलिस मय असल परिवाद आगामी तपतीस हेतु निज्द इन्चार्ज EOW सैल सैन्ट्रल जोन बजरिया डाक भेजी जायेगी । नोट :- इन्चार्ज EOW सैल सैन्ट्रल जोन की CCTNS मे ID ना होने के कारण ASI अमरजीत सिह को दर्शाया गया है वा ASI अमरजीत सिह की हाजरी मे दर्ज किया गया है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** **or (या)**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Amarjeet singh **Rank (पद):** Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No. (सं.): 1397 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Amit Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PINSP

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	1978				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)